न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 09 / 2025	2025 / 20	21.08.2025	15.10.2025

1– निर्मलांकौर पत्नि अवतारसिंह जाति भाटसिंख निवासी ग्राम नूरनगर हाल आबाद इकबाल नगर गोविन्दगढ तहसील अमलोह जिला फतेहगढ साहिब पंजाब।

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

असल रेस्पॉडेन्ट

2– हरप्रीतसिंह पुत्र अवतारसिंह जाति भाटसिंख निवासी ग्राम नूरनगर हाल आबाद इकबाल नगर गोविन्दगढ तहसील अमलोह जिला फतेहगढ साहिब पंजाब।
3– किरणकौर पुत्री अवतारसिंह जाति भाटसिंख निवासी ग्राम नूरनगर हाल आबाद इकबाल नगर गोविन्दगढ तहसील अमलोह जिला फतेहगढ साहिब पंजाब।
4– गुरमीतकौर पुत्री अवतारसिंह जाति भाटसिंख निवासी ग्राम नूरनगर हाल आबाद इकबाल नगर गोविन्दगढ तहसील अमलोह जिला फतेहगढ साहिब पंजाब।

तरतीबी रेस्पॉडेन्ट

न्यायालय अति० जिला कलक्टर ★ सत्यमेव जयते ★ खैरथल-तिजारा (राज०)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार खैरथल दिनाक 07.06.2016 नामान्तकरण संख्या 1517 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री सतीश कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री सतीश कुमार शर्मा –तर0 रेस्पोडेन्टान

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1517 निर्णय दिनांक 07.06.2016 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 701 रकबा 0.03 है0 का 1/24 भाग, 700 रकबा 1.02 है0, 705 रकबा 0.48 है0, 706 रकबा 0.48 है0 किता 3 रकबा 1.98 है0 का 1/6 भाग वाके ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति भाटसिंख निवासी नूरनगर तहसील कोटकासिम हाल खैरथल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह की मृत्यु दिनाक 26.09.2012 को हो गयी जिस पर मृतक अवतारसिंह की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु पटवारी

अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जॉच कर उप तहसीलदार खैरथल के आदेश से मृतक अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1517 दिनाक 07.06.2016 को दर्ज व मंजूर किया गया। जिस नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो द्वारा मृतक अवतारसिंह का सजरा खोला गया जो निम्नप्रकार से है:– मृतक अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह (बेअन्तकौर माता, निर्मलाकौर पत्नि, हरप्रीतसिंह पुत्र, गुरमीतकौर पुत्री, किरणकौर पुत्री) उक्त नामान्तकरण में मृतक अवतारसिंह की माता बेअन्तकौर का नाम बेजा रूप से दर्ज व मंजूर किया गया है, जबकि बेअन्तकौर का मृतक अवतारसिंह की माता थी, कानूनन विवाहित पुरूष की मृत्यु के बाद उसके विधिक व जायज वारिसान उसकी पत्नि व बच्चे होते है, न की माता पिता लेकिन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो द्वारा बेजा रूप से बेअन्तकौर का नाम दर्ज कर दिया गया है। विरासत का नामान्तकरण मृतक की पत्नि व बच्चो के नाम दर्ज होनी चाहिऐ, लेकिन उक्त नामान्तकरण में बेअन्तकौर का नाम बेजा रूप से दर्ज किया गया है। जिससे मिन अपीलान्ट व तरतीबी प्रतिवादी को अजहद हानि हो रही है। बैअन्तकौर द्वारा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का अवतारसिंह की मृत्यु के बाद अभिन्याग कर दिया गया था। बेअन्तकौर द्वारा हमारा कोई किसी प्रकार का ध्यान इत्यादि नही रखा गया। उक्त नामान्तकरण खिलाफ कानूनन मंजूर किया गया है, मृतक की पत्नि व बच्चे जीवित रहते हुऐ माता के नाम कानूनन विरासत का नामान्तकरण दर्ज नही किया जा सकता लिहाजा बेअन्तकौर का नाम विरासत नामान्तकरण से हटाया जावे। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.06.2016 नामान्तकरण संख्या 1517 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल निरस्त/दुरूस्त फरमाया जाकर मृतक अवतारसिंह की विरासत का नामान्तकरण उसकी पत्नि व बच्चो यानि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज किया जावे, तथा बअन्तकौर का नाम उक्त नामान्तकरण से हजफ कर हटाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो पर अपीलान्ट के पक्ष में सहमति व्यक्त करते हुऐ तहत अदालत तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.06.2016 नामान्तकरण संख्या 1517 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल के विधिवत निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम नूरनगर के नामान्तकरण संख्या 1517 दिनांक 07.06.2016 के विरूद्व दिनाक 05.08.2025 को पेश की गयी है, जो करीब नो वर्ष, दो माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण हम गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.06.2016 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 28.07.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 701 रकबा 0.03 है0 का 1/24 भाग, 700 रकबा 1.02 है0, 705 रकबा 0.48 है0, 706 रकबा 0.48 है0 किता 3 रकबा 1.98 है0 का 1/6 भाग वाके ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति भाटसिंख निवासी नूरनगर तहसील कोटकासिम हाल खैरथल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह की मृत्यु दिनाक 26.09.2012 को हो गयी जिस पर मृतक अवतारसिंह की विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का से सर्म्पक किया तो पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जॉच कर उप तहसीलदार खैरथल के आदेश से मृतक अवतारसिंह पुत्र स्वर्णसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1517 दिनाक 07.06.2016 को दर्ज व मंजूर किया गया। जिस नामान्तकरण में राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो द्वारा

अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

मृतक अवतारसिंह का सजरा अंकित करते हुऐ उक्त नामान्तकरण में मृतक अवतारसिंह की माता बेअन्तकौर का नाम बेजा रूप से दर्ज व मंजूर किया गया है, जबकि बेअन्तकौर का मृतक अवतारसिंह की माता थी, कानूनन विवाहित पुरूष की मृत्यु के बाद उसके विधिक व जायज वारिसान उसकी पत्नि व बच्चे होते है, न की माता पिता लेकिन राजस्व कर्मचारियो व अधिकारीयो द्वारा बेजा रूप से बेअन्तकौर का नाम दर्ज कर दिया गया है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया बहस का मनन किया गया। प्रस्तुत अपील में बैअन्तकौर को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है, विधिक प्रावधानुसार पक्षकार को मुकदमा बनाये सुनवाई का समुचित अवसर/साक्ष्य का अवसर दिया जाकर ही विधिवत निर्णय पारित किये जाने का प्रावधान है, तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित काश्तकार का नाम हटाने हेतु अपील एक उपयुक्त माध्यम नही है, इस हेतु सक्षम अधिकारीता वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने हक तय कराये जाने का प्रावधान है, अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत उप तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 07.06.2016 नामान्तकरण संख्या 1517 ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव्पाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल, तिजारा (राजस्थान)

अति० जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा

न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)